



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं० ५०] नई दिल्ली, दिसम्बर ७—दिसम्बर १३, २००३, शनिवार/अग्रहायण १६—अग्रहायण २२, १९२५
No. 50] NEW DELHI, DECEMBER 7—DECEMBER 13, 2003, SATURDAY/AGRAHAYANA 16—AGRAHAYANA 22, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा निधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, ५ नवम्बर, २००३

सा.का.नि. ४२२.—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली १९५४ के नियम ४ के उप-नियम (१) और (२) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ६१) की धारा ३ की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, १९५५ में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

१. (i) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियमावली, २००३ है।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

२. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, १९५५ की अनुसूची में "आन्ध्र प्रदेश" शीर्षक तथा इसके अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

आन्ध्र प्रदेश

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	११३
पुलिस महानिदेशक तथा महानिरीक्षक	१
पुलिस महानिदेशक—भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	१
अपर पुलिस महानिदेशक—प्रशासन	१
अपर पुलिस महानिदेशक—(आसूचना)	१
अपर पुलिस महानिदेशक—(कानून तथा व्यवस्था)	१
अपर पुलिस महानिदेशक—सी.आई.डी.	१
अपर पुलिस महानिदेशक—आन्ध्र प्रदेश विशेष पुलिस	१

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2003

सा. का. नि. 436.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बी.सी.जी. वैक्सीन, प्रयोगशाला, गिण्डि, चैन्नई में सहायक तकनीकी अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बी.सी.जी. वैक्सीन, प्रयोगशाला, गिण्डि, चैन्नई (सहायक तकनीकी अधिकारी) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम	: सहायक तकनीकी अधिकारी
2. पदों की संख्या	: 04 * (2003) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
3. वर्गीकरण	: साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित अननुसचिबीय
4. वेतनमान	: रु. 5500-175-9000
5. चयन अथवा अचयन पद	: चयन
6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	: 30 वर्ष से अधिक नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा

चम्पा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय : नहीं

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं : आवश्यक :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सूक्ष्म विज्ञान/जीव रसायन विज्ञान/जीवाणु विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य।

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

वांछनीय : मानव प्रयोग के लिए जैव उत्पादन का विनिर्माण और या परीक्षण या शैक्षिक अर्हता में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी एक विषय में अनुसंधान का अनुभव।

9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं : आयु : नहीं
शैक्षिक अर्हताएं : नहीं

किन्तु उसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. डिग्री अवश्य होनी चाहिए।

10. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता :

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा :

प्रोन्नति : ऐसा तकनीकी पर्यवेक्षक जिन्होंने उस श्रेणी में छह-वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000—8000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4500—7000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की है; और

(ख) जिनके पास सीधे भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए विहित स्तंभ 8 के अधीन शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति

से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना : समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :—
1. उप महानिदेशक, (पी)—अध्यक्ष
 2. निदेशक, (प्रशासन और सतर्कता)—सदस्य
 3. उप निदेशक (प्रशासन)—सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-11018/2/98-ईपीआई/पीएच]

के.वी.एस. राव, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 25th November, 2003

G.S.R. 436.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Technical Officer in the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai (Assistant Technical Officer) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in column 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Name of Post | : Assistant Technical Officer |
| 2. Number of post(s) | : 4* (2003) *(Subject to variation dependent on workload) |
| 3. Classification | : General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial |

4. Scale of pay : Rs. 5500-175-9000.
5. Whether selection post or non-selection post : Selection
6. Age limit for Direct Recruits : Not exceeding 30 years
(Relaxable for Government servants and employees of Government of National Capital Territory of Delhi upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island or Lakshadweep).
7. Whether benefit of added years of service admissible : No
8. Educational and other qualification required for direct recruits : **Essential :**
(i) Master's Degree in Microbiology/Bio-Chemistry/Bacteriology/Bio-Technology/Medical Laboratory Technology from a Recognised University or equivalent.
Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.
Desirable :
Experience in manufacture and/or testing of Biological products for human use or research experience in one of the subjects specified in the Educational Qualification.
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees : **Age :** No
EQs : No
##But must possess B. Sc. Degree from a Recognised University or Equivalent.
10. Period of probation, if any : 2 years for direct recruits and promotees
11. Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation absorption and percentage of posts to be filled by various methods : Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.
12. In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation absorption to be made. : **Promotion :**
Technical Supervisor with six year's regular service in the grade.
Note : Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
Deputation :
Officers of the Central Government :
(a)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre/Department; or

(ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre/Department; or

(iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 4500-7000 or equivalent in the parent cadre/Department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for Direct Recruits under column 8.

The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

13. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion/confirmation) :—

1. Deputy Director General (P)—Chairman

2. Director (Admn. & Vigilance)—Member

3. Deputy Director (Admn.)—Member

14. Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F.No. A-11018/2/98-EPI/PH]

K. V. S. RAO. Under Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2003

सा. का. नि. 437. — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बी.सी.जी. वैक्सीन, प्रयोगशाला गिण्डि, चैन्नई में कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बी.सी.जी. वैक्सीन, प्रयोगशाला, गिण्डि, चैन्नई (कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी) भर्ती नियम 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाखण्ड अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :